

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - भदोसर जिला चित्तौडगढ
 धनराज वगैर । वनाम ।। कैलाशसिंह वगैर
 किरम मुकदमा 128 एल.आर.ए. नम्बर. 61 /2019 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2019/00354	नम्बर व तारीख अडकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27/5/2019	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री फारुख मोहम्मद ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजीयात मौजा चरलिया पटवार हल्का करेडिया में स्थित की खाता संख्या 78 में अंकित आराजी नम्बर 56, रकबा 0.29 हैक्टैयर एवं खाता संख्या 80 की आवन0 52,58, रकबा 0.97 हैक्टैयर एवं खाता संख्या 76 की आ0न0 49, 50, 51, 53, 54, 57, 71 कुल किता-11 कुल रकबा 1.74 हैक्टैयर भूमि स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीयण पडोसी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीयण से आये दिन सीमा संबधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे।</p> <p>प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जैर बहस आलीच्य आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्य निर्हात है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदोसर को 2000/- अक्षरे दौ हजार रुपये गीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर उनकी मौजूदगी में मौजा चरलिया पटवार हल्का करेडिया में स्थित की खाता संख्या 78 में अंकित आराजी नम्बर 56, रकबा 0.29 हैक्टैयर एवं खाता संख्या 80 की आवन0 52,58, रकबा 0.97 हैक्टैयर एवं खाता संख्या 76 की आ0न0 49, 50, 51, 53, 54, 57, 71 कुल किता-11 कुल रकबा 1.74 हैक्टैयर भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार विना किसी के कब्जे काशत में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें। इसी आशय का हुकमनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	<p>अडकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>


 उपखण्ड अधिकारी
 भदोसर